



75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण Central Adoption Resource Authority

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Women & Child Development, Government of India



बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा बच्चे को दत्तक-ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त (LFA) करना

अभ्यर्पित बच्चा (Surrendered Child)

(धारा 31, 35 और 38;
नियम 19 और विनियम 7 और 39)

वह बच्चा, जिसे माता-पिता अथवा संरक्षक द्वारा ऐसे शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक कारकों, जो उनके नियंत्रण से परे हैं, के कारण समिति को त्याग दिया गया है तथा समिति द्वारा उस रूप में उसे ऐसा घोषित किया गया है [धारा 2 (60)]।

01 माता-पिता या संरक्षक बच्चे को बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।

माता-पिता / संरक्षकों (guardians) [धारा 12 (31) में परिभाषित संरक्षक] को परामर्श देना ताकि उन्हें बच्चे को अपने पास रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

02

03 बच्चे / बच्चों को प्रस्तुत किए जाने के दिन ही जैविक माता-पिता / संरक्षक (guardian) द्वारा अभ्यर्पण विलेख (Surrender deed) निष्पादित किया जाएगा (अभ्यर्पण विलेख की एक प्रतिलिपि अभ्यर्पण करने वाले माता-पिता / व्यक्ति को भी दी जाएगी) (अनुसूची V)।

- क) महिला जैविक माता / अविवाहित माता के मामले में अभ्यर्पण विलेख बाल कल्याण समिति (CWC) की किसी एक महिला सदस्य की उपस्थिति में निष्पादित किया जाएगा (यदि वे अपनी पहचान प्रकट करने के लिए इच्छुक नहीं हैं तो ऐसे बच्चे को परित्यक्त (abandoned) समझा जाएगा)। दो साक्षी अनिवार्य हैं तथा इनमें से एक साक्षी अभ्यर्पित करने वाले व्यक्ति से परिचित होना चाहिए।
- ख) विवाहित दंपती के मामले में, अभ्यर्पण विलेख पर माता और पिता, दोनों के हस्ताक्षर होंगे (दो साक्षियों में से एक साक्षी विवाहित दंपती से परिचित होना चाहिए)।
- ग) विवाहित दंपती के मामले में, यदि बच्चे का अभ्यर्पण किसी एक जैविक माता या जैविक पिता द्वारा किया जाता है तथा दूसरे माता या पिता के ठिकाने का पता नहीं है तो उस मामले को परित्यक्त बच्चे (Abandoned Child) का मामला समझा जाएगा।
- घ) बिना विवाह के जन्म लेने वाले बच्चे का अभ्यर्पण केवल माता द्वारा किया जाएगा [यदि माता अवयस्क (18 वर्ष से कम) है तो किसी अन्य वयस्क (माता-पिता / संरक्षक) का साक्षी होना आवश्यक है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो बाल देखरेख संस्था (CCI) के प्रभारी को साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करने होंगे]।
- च) यदि माता-पिता / संरक्षक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभ्यर्पण किया जाता है तो इसे परित्यक्त बच्चे का मामला माना जाएगा।
- छ) यदि माता या पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनमें से किसी एक के द्वारा अभ्यर्पण किया जाता है तो मृत्यु प्रमाण-पत्र आवश्यक है।

माता-पिता / संरक्षकों को पुनर्विचार के लिए 60 दिन का समय दिया जाएगा (अभ्यर्पण विलेख निष्पादित होने की तिथि से)।

04

05 पुनर्विचार अवधि समाप्त होने पर अभ्यर्पित बच्चे को दत्तक-ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किया जाएगा (बच्चे के नवीनतम फोटो के साथ आदेश पर बाल कल्याण समिति के कम से कम 3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे) (अनुसूची-1)।



नोट: अभ्यर्पण के मामले में कोई सार्वजनिक सूचना या विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

अभिहित पोर्टल: बाल दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स)

Designated Portal: Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

'धारा' का संबंध किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, 2015 (यथासंशोधित 2021)) से है।

'नियम' का संबंध किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 (यथासंशोधित 2022)) से है।

'विनियम' का संबंध दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022 से है।

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066 (भारत) West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)

कारा हेल्पलाइन नंबर: 1800-111-311 [सोमवार से शुकवार प्रातः 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक (राजपत्रित अवकाश को छोड़कर)]

CARA HelplineNo.: 1800-111-311 [Available between 8:00 AM to 8:00 PM (Mon-Fri, Except Gazetted Holidays)]

ईमेल / E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, वेबसाइट / Website: https://cara.wcd.gov.in, CARINGS: https://carings.wcd.gov.in



75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण Central Adoption Resource Authority

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Women & Child Development, Government of India



CHILD LEGALLY FREE FOR ADOPTION (LFA) BY CWC

SURRENDERED CHILD

(Section 31, 35 & 38; Rule 19
and Regulations 7 & 39)

A child, who is relinquished by the parent or guardian to the Committee, on account of physical, emotional and social factors beyond their control, and declared as such by the Committee [Section 2(60)]

01 Parent or guardian to produce the child before the CWC

Counselling of parents/guardians [guardian defined as per Section 2(31)] for encouraging them to retain the child.

02

03 Deed of surrender to be executed by the biological parents/guardian on the day of production of child/children (a copy of Deed to be shared with the surrendering parents/person) [Schedule V]

- In case of female biological parents/unwed mother- Deed of surrender may be executed in the presence of any one female member of CWC (if not willing to disclose their identity, the case to be treated as of abandoned child). Two witness are mandatory and one witness must be known to the person surrendering the child.
- In case of married couple, the Deed to be signed by both the parents. (One witness must be known to the couple, out of two witness).
- In case of married couple, surrender by one biological parent and whereabouts of the other parent are not known, to be treated as in case of abandoned child.
- In case of child born out of wedlock, surrender to be executed only by the mother (in case the mother is minor (under 18 years), an adult (parent/guardian) as witness is necessary, if doesn't have any one then the CCI In-charge has to sign as witness.)
- In case of Surrender done by a person other than parents/guardians-case to be treated as of abandoned child.
- In case of Surrender done by a single parent in case of death of a spouse, submission of death certificate is necessary.

Reconsideration period of 2 months to be given to parents/guardians (from the date of execution of surrender deed)

04

05 Declaring the child as legally free for adoption on expiry of reconsideration period (the order along with latest photograph to be signed by at least 3 members of CWC) [Schedule I]



Note: No public notice or advertisement to be issued in the above case

Designated Portal: Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

CWC: Child Welfare Committee | CCI: Child Care Institution

'Sections' related to Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (amended in 2021);

'Rules' related to Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2016 (amended in 2022);

'Regulations' related to Adoption Regulations 2022

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066 (भारत) West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)

कारा हेल्पलाइन नंबर: 1800-111-311 [सोमवार से शुकवार प्रातः 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक (राजपत्रित अवकाश को छोड़कर)]

CARA HelplineNo.: 1800-111-311 [Available between 8:00 AM to 8:00 PM (Mon-Fri, Except Gazetted Holidays)]

ईमेल/E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, वेबसाइट/Website: <https://cara.wcd.gov.in>, CARINGS: <https://carings.wcd.gov.in>